न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
12/2022	17/05/2022	24/07/2023

1. भंवरलाल पुत्र बद्रीलाल (माता का नाम चमेली) जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. मुकेश पुत्र बद्रीलाल (माता का नाम चमेली) जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. छोटूलाल पुत्र बद्रीलाल (माता का नाम चमेली) जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. धन्नीबाई पुत्री बद्रीलाल (माता का नाम चमेली) जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. शांति उर्फ संतोष पुत्री बद्रीलाल (माता का नाम चमेली) जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्रीकृष्ण जाति माली निवासी तलाव हाल निवासी फतेहपुर का रास्ता इटावा जिला कोटा (राज.)
2. शंकर पुत्र श्रीकृष्ण जाति माली निवासी तलाव तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. तहसीलदार साहब, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 05/12/2009 ग्राम तलाव ग्राम पंचायत तलाव तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

निर्णय

अपीलान्ट्स द्वारा इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई नामान्तरकरण संख्या 765 दिनाँक 5/12/2009 ग्राम पंचायत तलाव तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने खारिज किऐ जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत तलाव द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या स्वीकार करने में विधिक एवम् तथ्याात्मक त्रुटि कारित की गई है। ग्राम तलाव की जमाबन्दी संवत 2066 – 69 की खाता संख्या 393 में अपीलान्ट्स की स्व0 माता चमेली पुत्री गंगाराम तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 2 के स्व0 पिता श्रीकृष्ण पुत्र गंगाराम के संयुक्त खाते में ग्राम तलाव तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल में खसरा संख्या 763 रकबा 0.44है0, खसरा संख्या 766 रकबा 0.06 है0, खसरा संख्या 773 रकबा 0.10 है0, खसरा संख्या 801 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 955 रकबा 0.12 है0, कुल 5 किता की 0.74 है0 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

स्थित थी जिसमें चमेली का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। अपीलान्ट्स की माता चमेली की मृत्यु के उपरान्त हलका पटवारी द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण भरकर अपीलान्ट्स का नाम सजरे में अंकित कर ग्राम पंचायत तलाव के समक्ष वास्ते आदेश प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत तलाव द्वारा गैरकानूनी कार्य करते हुये आदेश किया गया कि " मृतक के वारिसान ससुराल पक्ष के है उक्त भूमि मृतक के पीहर पक्ष की है। अतः मृतक चमेली का नाम खाते से हटाया जाना स्वीकार है। " इस प्रकार उपरवर्णित आदेश प्रथम दृश्टया ही विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट क्रम 1, 2 के स्व. पिता श्रीकृष्ण पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी तलाव की मृत्यु हो चुकी है जिनके रेस्पोडेंट क्रम 1, 2 केवल मात्र विधिक प्रतिनिधि है। आक्षेपित नामान्तरकरण दिनांक 05/12/2009 स्वीकार होते समय अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं हुई। ग्राम तलाव की जमाबन्दी संवत 2066 – 69 की खाता संख्या 393 में नामा0 सं0 765 नि0 दि0 05/12/2009 – विरासत में मृतक चमेली के स्थान पर अपीलान्ट्स का नाम भी अंकित कर दिया गया किन्तु तत्पश्चात् अपीलान्ट्स का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित कर दिया गया। तदुपरान्त राजस्व अभिलेख की जाँच करने पर अपीलान्ट्स को आक्षेपित नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनाँक 27/04/2022 को हुई। तदुपरान्त अपील श्रीमान के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है जो सर्वप्रथम जानकारी की तिथि से अवधि मध्य स्वीकार किए जाने योग्य है। विलम्ब के शमन हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्र पृथक् से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील नियत न्याय शुल्क 1/– पर प्रस्तुत है जिसका श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अन्त में निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 765 दिनाँक 5/12 /2009 ग्राम पंचायत तलाव ग्राम पंचायत तलाव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) निरस्त किया जाकर ग्राम अपील में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर अपीलान्ट्स का नाम दर्ज करने का आदेश रेस्पोडेण्ट क्रम 3 तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान करने की कृपा करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जरिए समन की गई। बकुलाए फरीकेन की बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। रेस्पोडेन्ट के वकील द्वारा अपील मियाद बाहर होना तथा अपीलान्ट द्वारा नियमित वाद के जरिए अपने अधिकारों की घोशणा करने का ही विकल्प होने का कथन करते हुऐ अपील खारिज करने का निवेदन किया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व बकुलाय फरीकेन के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब को कण्डोन करने की प्रार्थना की गई है। जिसका रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जवाब तथा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में व्यवस्था है कि विलम्ब के समन के विशय में न्यायालय का उदारतापूर्वक, व्यावहारिक, न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण होना चाहिए। केवल विलम्ब के कारण किसी को न्याय

अंजना सहरावत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

नामान्तरणकरण संख्या 765 दिनांक 05/12/2009 में हलका पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई कि खातेदार चमेली फौत हो गई है। जिसके मुताबिक सजरा वारिसान मौजूद है। अतः बाद जाँच आदेश फरमावे। नामान्तरकरण परत पर मृतक चमेली का सजरा दर्ज है। जिस पर गिरदावर द्वारा अंकन सही होने टिप्पणी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत तलाव द्वारा कानून व तथ्यों से परे जाकर दिनांक 05/12/2009 को आदेश पारित किया गया कि मृतक के वारिसान ससुराल पक्ष के है। उक्त भूमि मृतक के पीहर पक्ष की है। अतः मृतक चमेली का नाम खाते से हटाया जाना स्वीकार है। जबकि निर्ववसीयत मरने वाली हिन्दु नारी की सम्पति के प्रथम वारिस उसके पुत्र, पुत्री होते है। इससे स्पष्ट है कि आक्षेपित नामान्तरकरण निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक चमेली का नाम खाते से हटाने का आदेश प्रदान करने में विधिक त्रुटि की है।

हलका पटवारी तथा गिरदावर की रिपोर्ट व टिप्पणी में मृतक चमेली के वारिसान की जाँच की जाँच पूरी की जा चूकी है तथा मृतक चमेली के वारिसान का कोई विवाद नहीं है। इसलिए मृतक चमेली के वारिसान की पुन': जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सख्या 765 दिनांक 05/12/2009 ग्राम पंचायत तलाव निरस्त किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत तलाव की खसरा संख्या 763 रकबा 0.44है., खसरा संख्या 769 रकबा 0.06है., खसरा संख्या 773 रकबा 0.10है., खसरा संख्या 801 रकबा 0.02है., खसरा संख्या 955 रकबा 0.12है.,कुल 5 किता की 0.74है. के 1/2 हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट्स का नाम समभाग से दर्ज कर दिया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाया गया अपील फैसल शुमार होकर आज तामिल दाखिल दफ्तर हो।

अंजना सहरावत
अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा
इटावा